

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों द्वारा अपने दावे के समर्थन में प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण-पत्र का प्रपत्र

कार्यालय ..... तहसील ..... जिला ..... (राज.)

क्रमांक 415

दिनांक 8/8/12



## जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी दिव्या लक्ष्मी सुपुत्र/सुपुत्री/धर्मपत्नी श्री केशव लाल शर्मा गांव/नगर जूनवा जिला/डिवीजन बून्दी क्षेत्र राजस्थान जाति/समुदाय S.C. का है, जिसे निम्नलिखित के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति के रूप में मान्यता दी गई है -

- संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950
- संविधान (अनुसूचित आदिम जाति) आदेश, 1950
- संविधान (अनुसूचित जाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951
- संविधान (अनुसूचित आदिम जाति) संघ राज्य आदेश, 1951
- अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति सूचियां (संशोधन) आदेश, 1951; बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960; पंजाब अधिनियम, 1966; हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970; उत्तर पूर्वीय क्षेत्र (पुनर्गठन अधिनियम) 1971; और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा संशोधन किए गये अनुसार।
- संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956
- संविधान (अण्डमान निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जाति आदेश, 1950
- संविधान (दादर तथा नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962
- संविधान (पांडीचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964
- संविधान (अनुसूचित आदिम जाति) उत्तर प्रदेश आदेश, 1967
- संविधान (गोआ, दमन तथा दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968
- संविधान (गोआ, दामन तथा दीव) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1968
- संविधान (नागालैंड) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1970

श्री/श्रीमती/कुमारी दिव्या लक्ष्मी और/अथवा उसका परिवार जूनवा गांव/नगर बून्दी जिला/डिवीजन राज्य/संघ/राज्य क्षेत्र राजस्थान में सामान्यतया रहता है।

स्थान

दिनांक



तहसील ..... जिला ..... (राज.)

• कृपया इन शब्दों को काट दीजिए जो लागू नहीं होते।

विशेष - यहाँ पर प्रयुक्त सामान्यतः रहता है, का अर्थ वही होगा जो प्रतिनिधि अधिनियम, 1950 धारा 20 में है।

द्वारा सत्यापित